Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

➢ पटवार हल्का धाधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर का पटवारी 5,000/— रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 08 दिसम्बर, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अखिलेश कुमार मीना, पटवारी, पटवार हल्का धाधरैन, तहसील बयाना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी से उसके की बाके ग्राम पीलूपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 146,147,35,195,24 का पिता की मृत्यु पश्चात विरासत का नामान्तरकरण परिवादी व उसके परिजनों के नाम खोलने की एवज में स्वयं के लिये 5,000/— रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविंद गुप्ता** ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसके पिता श्री लखन सिंह की मृत्यू के बाद उनके बाके ग्राम पीलूपुरा स्थित भूमि का परिवादी व उसके परिजनों के नाम विरासत का नामान्तरकरण खोलने की एवज में स्वयं के लिये 5,000/— रुपये की रिश्वत मांग कर आरोपी द्वारा परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी करौली के **पुलिस निरीक्षक श्री जगदीश भारद्वाज** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अखिलेश कुमार मीना पटवारी, पटवार हल्का धाधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर को उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 5,000/— रूपये आज दिनांक 08.12.2025 को परिवादी को पंचायत समिति बयाना चौराहा के पास स्थित श्री दयाराम गुर्जर निवासी दमदमा के मकान दुकान के प्रथम मंजिल पर स्थित किराये के कमरे में बुलाकर प्राप्त करना एवं प्राप्त राशि उसके कब्जे से उसकी कार्य करने की टेबल की दराज के अन्दर से बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।